



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ, 1942 (श०)

संख्या-141 राँची, गुरुवार,

18 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

02 फरवरी, 2021

संख्या--5/आरोप-1-46/2019-1123 (HRMS)-- श्री अमलजी, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला- जमुई "बिहार"), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2075, दिनांक 31.05.2019 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1139/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 22.12.2018 द्वारा प्रपत्र-क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किया गया-

“ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-4349, दिनांक 15.10.2018 द्वारा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिहरगंज श्री अमलजी, सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, करों, देवघर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा प्राप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधानसभा से हरिहरगंज प्रखंड के डेमा पंचायत में अनियमितता से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में श्री अनल प्रतीक मिंज, अवर सचिव एवं श्री रोशन पाट consultant-SR&CE Expert, SPMU द्वारा दिनांक 24-25 सितम्बर, 2018 को स्थलीय जांच किया गया। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा की गई स्थलीय जांच में माननीय स०वि०स० द्वारा लगाये

गये आरोप सही पाये गये। आरोप है कि डेमा पंचायत में आवास सॉफ्ट में कुछ लाभुकों का नाम परिवार के साथ एवं उसी का वगैर परिवार के नाम के साथ अर्थात एक ही व्यक्ति का दो अलग-अलग PMAY-G डाटा में परिलक्षित हो रहा है, इस तकनीकी त्रुटि का सुधार नहीं कर मात्र नाम को एवं अलग आईडी को ध्यान में रखकर गलत लाभुक का चयन कर आवास का लाभ दे दिया गया।

इनका यह कृत्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारित, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5310, दिनांक 05.07.2019 द्वारा श्री अमलजी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री अमलजी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 16.07.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) ग्राम पंचायत, डेमा के उपलब्ध SECC.2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार PWL में कुछ परिवारों के आंकड़े अपूर्ण हैं। इसका कारण जनगणना के आंकड़ों के digitalization में की गई लापरवाही है। एक ही नाम के गृह स्वामी वाले दो परिवारों की प्रविष्टि करते समय एक के परिवारजनों की विवरणी दर्ज की गई है तथा दूसरे में दर्ज नहीं की गई है।

(ii) विभागीय निदेशानुसार SECC-.2011 के Exclusion, Deletion के उपरान्त PWL तैयार करने की जिम्मेवारी ग्रामसभा को दी गई है। गलत स्वीकृत लाभुकों को रद्द करने की शक्ति भी ग्रामसभा में ही अंतिम रूप से निहित है।

(iii) PWL पर अंतिम मुहर प्रतिनिधित्व रूप से मुखिया एवं पंचायत सचिव की लगती है तथा इसी list से PMAY(G) के लाभुकों का आच्छादन किया जाता है।

(iv) मात्र 04 गलत लाभुकों की स्वीकृति उनके प्रभार अवधि में हुई है।

(v) मुखिया, पंचायत स्वयंसेवक तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षरित बैंक खाता, आधार एवं सहमति पत्र की छायाप्रति के उपरान्त ही पंजीकरण किया गया।

(vi) समान नाम के आईडी के विषय में कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा उन्हें नहीं बताया गया। संबंधित लिपिक द्वारा भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई।

(vii) लाभुकों का भौतिक सत्यापन विभागीय जांच दल द्वारा किया गया एवं सभी लाभुक अत्यंत गरीब पाये गये तथा समान नाम वाले गृह स्वामी का अन्य परिवार नहीं पाया गया।

(viii) विषयगत मामला उनके पदस्थापन अवधि में किसी भी स्रोत से संज्ञान में नहीं लाया गया, जिस कारण अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकी। लाभुक को छोड़कर किसी अन्य के खाते में राशि नहीं दी गई एवं मकान भी बनकर तैयार है।

(ix) जांच दल के समक्ष किसी व्यक्ति ने मेरे द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ ग्रहण करने संबंधी आरोप की पुष्टि नहीं की है।

(x) श्रीमती सुनीता देवी, पति-जितेन्द्र यादव (ID - 2935871द) को जांच दल ने आर्थिक रूप से सक्षम परिवार प्रतिवेदित किया गया है। उक्त परिवार की स्वीकृति का प्रस्ताव श्री सुलेमान मुण्डरी के द्वारा भेजा गया।

श्री अमलजी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-426, दिनांक 22.01.2020 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-536/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 04.07.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि-

“प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत स्वयं सेवक तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का बिना जांच किये स्वीकृति किया गया है। इस अनियमितता का कारण कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक/अन्य कर्मों के द्वारा संज्ञान में नहीं लाया गया, बताया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।”

श्री अमलजी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में समान नाम वाले कुल 14 मामलों में जांच की गई एवं 07 लाभुकों को गलत प्रतिवेदित किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा 04 मामले उनके प्रभार अवधि से संबंधित होने की बात स्वीकार की गई है।

(ii) जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में सातों गलत लाभुकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय प्रतिवेदित की गई है।

(iii) जांच दल द्वारा श्रीमती सुनीता देवी, पति-श्री जितेन्द्र यादव (ID-2935871)को सही लाभुक प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम प्रतिवेदित किया गया है। उक्त लाभुक को राशि का भुगतान श्री सुलेमान मुण्डरी, झा0प्र0से0 के प्रभार अवधि में किया गया है।

(iv) उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-536, दिनांक 04.07.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार रवि तथा वर्तमान पंचायत सचिव श्री अजय कुमार सिंह को निलम्बित किया गया है, जबकि कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्य मुक्त एवं मुखिया की वित्तीय शक्तियां जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त सभी के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी सं0-04/2019 दि0 10.01.2019 दर्ज की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अमलजी, झा0प्र0से0 (द्वितीय सीमित बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू को इस मामले में पर्यवेक्षणीय चूक का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i)के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अमलजी झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMALJEE JHK/JAS/236	श्री अमलजी, झा0प्र0से0 (द्वितीय सीमित बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू को इस मामले में पर्यवेक्षणीय चूक का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
